

राजस्व वाद संख्या 114/2018
जीसीएमएस नंबर 2018/00213
कैलाश सिखवाल बनाम् वंशीलाल वर्गैरह

- : : आदेश : : -


वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान
री अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्राक 19 दिनांक 08.11.2021 के
प्रस्ताव (पीडी) अनुसार रवीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न
ग्रन्थिम डिक्री किया जाता है।

वादी कैलाश सिखवाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तरनाउ का खेत खसरा
नंबर 308 रकबा 0.9308 रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में बेचान के लिये इकरार सिद्ध होने व हस्तानान्तरण होने की स्थिति में
ईकरारनामा अपंजीकृत होने के कारण नियमानुसार राजहक में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क
जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

संबंधित बैंकको रहन खसरान् के संबंध में सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक ..20/12/2021.. को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी
रे इजलास सुनाया गया।



[Signature]
20/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल